

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित

| विषय सूची |
|--|
| आंकडे एक नजर में |
| हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना |
| मुख्य कार्य |
| संगठनात्मक ढाँचा |
| वस्तु सूची |
| वितरण प्रणाली |
| खाना पकाने की गैस |
| दवाईयाँ |
| दवाई दुकानों की सूची |
| पोषाहार कार्यक्रम |
| सरकारी विभागों को सीमेन्ट की आपूर्ति |
| उपभोक्ताओं को सीमेन्ट की आपूर्ति |
| दोपहर भोजन की योजना |
| जी.आई./डी.आई पाईप |
| गंदम व्यापार |
| स्टीम कोयला |
| कम्प्यूटरीकरण |
| गोदाम |
| गोदाम का निर्माण |
| वाणिज्य गाड़ियाँ |
| विक्रय उपलब्धी |
| वित्तीय उपलब्धी |
| वित्तीय स्थिति |
| शेयर धारकों की सूची |
| निदेशक मण्डल |
| मारजिन |
| विभिन्न नियन्त्रित वस्तुएं |
| नियंत्रित वस्तुओं की दरें |
| खाद्य सामग्री का वितरण |
| अनुदानित दालों का वितरण |
| थोक गोदामों की सूची |
| परचून दुकानों की सूची |
| एल.पी.जी. एजेंसियों की सूची |
| पैट्रोल पम्प की सूची |
| दवाई दुकानों की सूची |

ऑकड़े एक नजर में

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1 | स्थापना की तिथि | 06.सितम्बर,1980 |
| 2 | अधिकृत पूँजी | 8.00 करोड़ |
| 3 | प्रदत्त पूँजी | 3.51 करोड़ |
| 4 | बैंकों से प्राप्त की गई पूँजी | 30.00 करोड़ |
| 5 | वर्ष 2009-10 की कुल बिक्री | 1122.74 करोड़ |
| 6 | मण्डलीय कार्यालय | 2 |
| 7 | क्षेत्रीय कार्यालय | 7 |
| 8 | थोक गोदाम | 115 |
| 9 | परचून दुकानें | 129 |
| 10 | निगम द्वारा चलाई जा रही गैस एजेन्सियाँ | 50 |
| 11 | निगम के गैस उपभोक्ता | 6,31,808 |
| 12 | दवाई की दुकानें | 33 |
| 13 | टी.के.डी./पेट्रोल पम्प | 4 |
| 14 | वाणिज्य वाहन | 31 |
| 15 | स्टाफ कारें | 13 |
| 16 | अधिकारी | 35 |
| 17 | कर्मचारी | 920 |
| 18 | आई.आर.डी.पी. परिवार बीपीएल अंत्योदय एपीएल 3,16,900, 1,97,100 10,97,410 | 16,11,410 |
| 19 | प्रदेश में कुल उचित मूल्य की दुकानें | 4533 |
| 20 | सहकारी सभाओं द्वारा संचालित दुकानें | 2988 |
| 21 | निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित दुकानें | 1359 |
| 22 | पंचायतों व महिला मंडलों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानें | 43 |
| 23 | निगम द्वारा संचालित (127 RS, + 4 WS-cum-RS) दुकानें | 131 |
| 24 | प्रदेश की जन संख्या (जनगणना 2001) | 60,77,900 |
| 25 | राशन कार्डों की संख्या | 16,11,410 |
| 26 | उचित मूल्य की दुकान प्रति व्यक्ति | 1635 |
| 27 | भारतीय खाद्य निगम के प्रधान वितरण केन्द्र, शिमला (ढल्ली), टापरी, सोलन, परवाणु, नाहन, बिलासपुर, मण्डी, नेरचौक, कुल्लू, जाच, नगरोटा, रानीताल, हमीरपुर, उना, चम्बा, रामपुर, हाटकोटी, करसोग, नौहराघार, सरकाघाट, बैजनाथ, जयसिंहपुर, देहरा, भरमौर, तीसा, किल्लर, काजा, केलांग, डोडरा-क्वार, चौपाल, आनी, पूह, बंजार, उदयपुर, अर्की, नारकंडा, जंजैहली, शिलाई व बडा बंगाल। | 39 |
| 28 | राज्य का क्षेत्रफल | 55673 वर्ग कि.मी. |
| 29 | भण्डारण क्षमता भारतीय खाद्य निगम 26,460 मी. टन निगम की गैर जन-जातिय क्षेत्रों में क्षमता 47,286 मी. टन निगम की दुर्गम क्षेत्रों में क्षमता 8,982 मी. टन सी.डब्ल्यू.सी. क्षमता 5,370 मी. टन | 88,098 मी.टन |

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित

स्थापना: -

वर्ष 1980 से पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति एवं वितरण का कार्य राज्य सहकारी संस्थाओं, जिला सहकारी संघों तथा तहसील सहकारी संघों द्वारा किया जाता था। राज्य सरकारी द्वारा अनुभव किया गया कि केवल यह संस्थाएं इस स्थिति में नहीं हैं कि भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम आदि से सभी वस्तुएं प्राप्त कर लें। अतः एक केन्द्रीय एजेन्सी की आवश्यकता अनुभव हुई तथा वर्ष 1980 में कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना हुई। इस निगम को मूल कार्य यह सौंपा गया कि थोक स्तर पर विभिन्न प्रापण स्त्रोतों से आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति करें तथा जिला एवं तहसील सहकारी संघों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को वितरण हेतु उपलब्ध कराएं।

मुख्य कार्य: -

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को प्राथमिक कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चिन्हित नियन्त्रित व अनियन्त्रित वस्तुओं के प्रापण हेतु एक केन्द्रीय प्रापण अभीकरण के तौर पर थोक विक्रेता के रूप में कार्य करना है व इन वस्तुओं का वितरण उपथोक विक्रेताओं जैसे कि जिला व तहसील सहकारी संघ व परचून विक्रेताओं, उचित मूल्य की दुकानों को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त यह निगम अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का कारोबार भी कर सकता है ताकि ऐसी वस्तुओं के बाजार भावों पर नियन्त्रण रखा जा सके।

संगठनात्मक ढांचा: -

निगम का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया है। प्रबन्ध निदेशक निगम के मुख्य अधिकारी हैं व उनके कार्य सहायक हेतु 2 महा प्रबन्धक तथा एक-एक प्रापण प्रबन्धक, वितरण प्रबन्धक, वित्त प्रबन्धक हैं। प्रशासनिक दृष्टि से सारे राज्य को 3 मण्डलों एवं 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन मण्डलों के मुख्यालय धर्मशाला, सोलन व मण्डी में स्थित हैं। धर्मशाला मण्डल के अन्तर्गत धर्मशाला व चम्बा क्षेत्र आते हैं। सोलन मण्डल के अन्तर्गत शिमला, सोलन व नाहन क्षेत्र आते हैं तथा मण्डी मण्डल के अंतर्गत मण्डी, कुल्लू इत्यादि क्षेत्र आते हैं। मण्डल के संचालन हेतु मण्डलीय प्रबन्धक तथा क्षेत्रों का कार्य क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा देखा जाता है। सीमेन्ट के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु बरमाणा व दाइलाघाट में प्रापण कार्यालय स्थापित किये गये हैं जिसका संचालन सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है। ये कार्यालय सोलन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

वस्तु सूची: -

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1980 तक केवल कुछ एक वस्तुएं जैसे लेवी चीनी, खाद्य तेल, चावल, गेहूँ, आटा व नियन्त्रित कपड़ा इत्यादि ही उपलब्ध कराये जाते थे। वर्तमान में निगम द्वारा 28 से अधिक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जैसे लेवी चीनी, मिट्टी तेल, अनियन्त्रित कपड़ा, आयोडाईजड नमक, अभ्यास पुस्तिकाएँ, गेहूँ आटा, दालें, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, चाय पत्ती, सीमेन्ट, दियासलाई, नालीदार चादरें व सिन्डेक्स उत्पाद इत्यादि।

| नियंत्रित वस्तुएं | अनियंत्रित वस्तुएं | | अन्य वस्तुएं |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| लेवी चीनी | खाद्य तेल/ देसी घी | चाय पत्ती | दांत साफ करने का पेस्ट |
| आटा | अनियंत्रित कपड़ा | कपड़े धोने का साबुन | दूध पाउडर |
| गंदम | एल.पी.जी. | माचिस | हीटर |
| चावल | आयोडाईजड नमक | सीमेन्ट | एलपीजी उपकरण |
| मिट्टी तेल | अभ्यास पुस्तिकाएं | दवाईयां | टायर व ट्यूब |
| दालें | दालें | सी.जी.आई. शीट | |
| खाद्य तेल | चाय | | |
| आयोडाईजड नमक | कपड़े धोने का साबुन | | |

वितरण प्रणाली: -

वर्ष 1980-81 में निगम की स्थापना के पश्चात निगम द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर 28 थोक गोदाम खोले गए। गोदामों की संख्या अब 115 हो गई है ताकि उपथोक विक्रेता

व उचित मूल्य की दुकानें निकटतम गोदाम से अपनी वांछित वस्तुएं ले सकें। इससे यह विदित हो जाता है कि औसतन एक गोदाम 38 उचित मूल्य की दुकानों की आवश्यकता पूरी कर रहा है। यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि पिछड़े इलाकों में यह औसत एक गोदाम के पीछे 5 उचित मूल्य की दुकानें तक रह जाती है।

साधारणतः एक गोदाम में दो सार्वजनिक वितरण लिपिक तैनात किये गये हैं लेकिन छोटे गोदामों में एक सार्वजनिक वितरण लिपिक तथा एक सार्वजनिक वितरण सहायक भी रखा गया है। कुछ स्थानों पर निगम ने उचित मूल्य की दुकानों पर अपनी गाड़ियों के माध्यम से वितरण शुरू किया है और ऐसा करने से काफी प्रशंसा मिली है, क्योंकि थोक गोदाम से माल उठाने का उनका समय एवं परिवहन व्यय में बचत होती है व उप-थोक विक्रेता के लाभांश में कोई कटौती नहीं की जाती है जो कीमतों को बढ़ने से रोक रखने में सहायक है।

यद्यपि निगम का मुख्य कार्य थोक विक्रेता के रूप में है फिर भी कुछ स्थानों पर जहां सहकारी समितियाँ या पंचायतें अपनी असमर्थता प्रकट करती है वहाँ निगम से उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिये कहा जाता है। निगम द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही इन दुकानों की संख्या 129 हैं।

निगम द्वारा प्रदेश के हिम्मांछदित व दुर्गम क्षेत्रों जैसे कि पाँगी घाटी, लाहौल स्पिति, किन्नौर जिला, भरमौर, शिमला तथा मण्डी जिले के उपरी भाग व मण्डी जिले के क्षेत्र में निर्देशानुसार किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कठिनाई न हो।

खाना पकाने की गैस: -

राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 50 खाना पकाने की गैस की एजेंसियाँ आबंटित की गई हैं। इस आबंटन का आधार यह है कि जहाँ भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार किसी स्थान पर कोई एजेंसी लाभांश न देती हो वहाँ पर राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीधे ही इन एजेंसियों को चला रही हैं। निगम द्वारा 50 एजेंसियाँ स्वयं चलाई जा रही हैं। इन 50 एजेंसियों के 286 विस्तार बिन्दु खोले गए हैं जहाँ से उपभोक्ताओं को गैस की सुचारु आपूर्ति की जा रही है।

दवाईयाँ: -

राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 1991 में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग व अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को दवाईयों की आपूर्ति निगम के माध्यम से की जाए। इस कार्य हेतु सचिव स्वास्थ्य, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक दवाईयों की कय समिति का गठन किया गया व इस समिति के निर्णयों अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों व जिला चिकित्सा अधिकारियों की माँग अनुसार दवाईयों का कय निगम द्वारा किया जाता है। निगम को सौंपा गया पिछले 5 वर्षों का दवाईयों की आपूर्ति का ब्यौरा निम्न है:-

| क्र. सं. | वर्ष | राशि करोड़ों में |
|----------|---------|------------------|
| 1 | 2004-05 | 904.88 |
| 2 | 2005-06 | 1295.00 |
| 3 | 2006-07 | 1635.00 |
| 4 | 2007-08 | 1463.00 |
| 5 | 2008-09 | 1665.00 |
| 6 | 2009-10 | 1280.00 |

उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार सभी आपूर्तिकर्ताओं को निर्धारित गुणवत्ता नियन्त्रण के मापदण्डों अनुसार दवाईयों की आपूर्ति करनी होती है तथा वर्ष 1996-97 से सभी दवाई निर्माता कम्पनियों को न्यूनतम कारोबार का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की शर्त रखी गई है।

दवाई दुकानों की सूची: -

हिमाचल प्रदेश राज्य में निगम की 33 दुकानें 24 घंटे कार्य कर रही हैं।

पोषाहार कार्यक्रम: -

पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न वस्तुओं जैसे कि चना, दालें, चावल, दूध पाउडर, चीनी, घी, नमक इत्यादि का कय अपने स्तर पर किया जाता था। निगम की विशेषज्ञता को देखते हुए इन वस्तुओं की आपूर्ति का कार्य राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया जिसकी सूचना निदेशक कल्याण द्वारा जनवरी, 1990 में दी गई। इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक संचालन समिति का गठन किया गया है जिसका स्वरूप निम्न है:-

| | |
|----|---|
| 1. | निदेशक, कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश |
| 2. | प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम |
| 3. | निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश |
| 4. | निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हिमाचल प्रदेश |
| 5. | विशेष पोषण अधिकारी, कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश |

इस समिति द्वारा पोषाहार कार्यक्रम हेतु कच्य की जाने वाली वस्तुओं की पोषण सम्बन्धी गुणों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस समिति की बैठकें प्रत्येक चौमाही को होती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं के कच्य हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति निगम द्वारा सीधे तौर पर की जाती है।

सरकारी विभागों को सीमेन्ट की आपूर्ति: -

वर्ष 1990 तक सरकारी विभागों द्वारा दर संविदा अनुसार राजबन व बरमाणा स्थित सीमेन्ट फैक्टरियों से सीधे तौर पर सीमेन्ट का प्रापण किया जाता था जिन्हें प्रत्येक विभाग को स्वयं परिवहन का प्रबन्ध करना होता था व अपने कर्मचारियों को इस कार्य हेतु तैनात करना होता था। इस असुविधा को देखते हुए मन्त्री परिषद द्वारा राज्य सरकार के सभी विभागों/निगमों/बोर्डों/स्थानीय निकायों को सीमेन्ट की आपूर्ति निगम के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया। तदानुसार निगम द्वारा सीमेन्ट की सुचारु आपूर्ति की जा रही है। पिछले 5 वर्षों में सरकारी विभागों/निगमों/बोर्डों/स्थानीय निकायों को की गई आपूर्ति का वर्षवार व्यौरा निम्न है:-

| क्र. सं. | वर्ष | मात्रा मी.टन | राशि करोड़ रुपये में |
|----------|---------|--------------|----------------------|
| 1 | 2004-05 | 201250 | 5298.00 |
| 2 | 2005-06 | 186130 | 4413.00 |
| 3 | 2006-07 | 162869 | 5589.00 |
| 4 | 2007-08 | 220702 | 7512.00 |
| 5 | 2008-09 | 267488 | 7539.00 |
| 6 | 2009-10 | 280154 | 8909.00 |

मनरेगा सीमेन्ट

जून 2010 में प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले के अंतर्गत निगम को प्रदेश में कार्यरत 77 विकास खण्डों के माध्यम से प्रदेश की समस्त पंचायतों को उनके द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विकास कार्यों के लिए सीमेन्ट की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया है।

उपभोक्ताओं को सीमेन्ट की आपूर्ति: -

फरवरी, 1989 तक निगम द्वारा केवल लेवी सीमेन्ट का कार्य किया जाता था व भारत सरकार द्वारा सीमेन्ट उद्योग पर से नियन्त्रण उठाने के बाद लेवी सीमेन्ट का कार्य बन्द हो गया जिसके फलस्वरूप निगम द्वारा खुली बिक्री का सीमेन्ट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया ताकि उपभोक्ताओं को उचित दरों पर सीमेन्ट उपलब्ध हो सके व लेवी सीमेन्ट के बन्द होने के कारण निगम के कारोबार में आई कमी को पूरा किया जा सके। पिछले 5 वर्षों की खुली बिक्री का विवरण निम्न है:-

| वर्ष | मात्रा मी.टन | राशि करोड़ रुपये में |
|---------|--------------|----------------------|
| 2004-05 | 31523 | 1067.09 |
| 2005-06 | 32610 | 1045.55 |
| 2006-07 | 25528 | 1429.00 |
| 2007-08 | 31091 | 1218.00 |
| 2008-09 | 18625 | 790.00 |
| 2009-10 | 15376 | 727.00 |

विभिन्न फैक्टरियों की सीमेन्ट की वर्तमान दरें निम्न है:-

| क्र.सं. | फैक्टरी का नाम | सीमेन्ट की दर प्रति टन | खुली बिक्री की सीमेन्ट की दरें प्रति टन |
|---------|----------------|------------------------|---|
| 1. | ए.सी.सी. गग्गल | 2687.00 (ex-factory) | 3693.99 से 4741.91 |

| | | | |
|----|------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2. | अम्बुजा दाडलाघाट | 2687.00 (ex-factory) | 5080.00 से 5340.00 (F.O.R.) |
| 3. | एसीसी ओपीसी | 3123.00 (ex-factory) | |

दोपहर भोजन की योजना: -

दोपहर भोजन योजना को प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह योजना भारत सरकार द्वारा 15.8.95 से आरम्भ की गई है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम चरण में यह योजना केवल 18 विकास खण्डों में शुरू की गई थी व वर्ष 1996-97 में इसे 30 विकास खण्डों में लागू किया गया। 01.04.1997 से यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत पांचवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन स्कूल में उपलब्ध करवाया जाता है। दिनांक 01.08.2008 से दोपहर भोजन की योजना का विस्तार करके अप्पर प्राइमरी के विद्यार्थियों को भी इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। निगम द्वारा इस योजना के अंतर्गत संबंधित उपायुक्त द्वारा उपलब्ध करवा गए आवंटन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल उठाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले 5 वर्षों में उपलब्ध करवाये गये चावलों का वर्षवार ब्यौरा निम्न है:-

| वर्ष | आबंटित मात्रा किंचंटलों में | उपलब्ध करवाई गई मात्रा किंचंटलों में |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 2005-06 | 114472 | 114472 |
| 2006-07 | 129680 | 129680 |
| 2007-08 | 128257 | 125055 |
| 2008-09 | 192364 | 192364 |
| 2009-10 | 208557 | 208557 |

निगम द्वारा दोपहर के भोजन योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित उपायुक्तों द्वारा दी गई माँग अनुसार चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाया जाता है व तदनुसार इसका वितरण किया जाता है।

जी.आई/डी.आई पाईप की आपूर्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 1999 व जनवरी 2000 से निगम को जी.आई/ डी.आई. पाईपों की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया। निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों में जी.आई./डी.आई. पाईपों की आपूर्ति का कार्य वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है: -

| वर्ष | राशि लाखों में |
|---------|----------------|
| 2004-05 | 4608.00 |
| 2005-06 | 3932.00 |
| 2006-07 | 8692.00 |
| 2007-08 | 10345.00 |
| 2008-09 | 4259.00 |
| 2009-10 | 13917.00 |

गंदम व्यापार: -

खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 01.04.2001 तक गंदम का व्यापार किया जाता था। अप्रैल 2001 से गंदम व्यापार को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित को हस्तांतरित कर दिया गया और निगम को अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ गंदम का व्यापार भी सौंपा गया। इसके हस्तांतरित होने से उचित मूल्य की दुकानों को गंदम व अन्य सारा सामान एक ही जगह से उठाना सुविधाजनक हो गया। निगम को गंदम के हस्तांतरित होने से वार्षिक ब्रिकी लेखा-जोखा में वृद्धि दर्ज की गई।

स्टीम कोयला: -

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित को वर्ष 2003-04 में हिम्मांछित व दुर्गम क्षेत्रों में कोयले की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया। निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्य का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है: -

| वर्ष | मात्रा मि. टन में |
|---------|-------------------|
| 2004-05 | 3934 |

| | |
|---------|------|
| 2005-06 | 4075 |
| 2006-07 | 4073 |
| 2007-08 | 3160 |
| 2008-09 | 4165 |
| 2009-10 | 592 |

कम्प्यूटरीकरण: -

इस निगम में प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली में सुधार लाने हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं की गोदामों/उचित मूल्य की दुकानों में बिक्री की परिवीक्षा की जा सके। क्षेत्रीय स्तर पर आंकड़े भरे जाते हैं और मुख्यालय पर उनका संकलन किया जाता है।

| क्र.सं. | विवरण | कम्प्यूटर | प्रिंटर | यूपीएस/सीवीटी |
|---------|------------------------|------------|------------|---------------|
| 1 | मुख्यालय | 52 | 37 | 3 |
| 2 | मण्डलीय कार्यालय | 9 | 6 | 4 |
| 3 | क्षेत्रीय कार्यालय | 71 | 43 | 19 |
| 4 | प्रापण कार्यालय | 3 | 6 | 3 |
| 5 | दवाई दुकानें | 40 | 42 | 41 |
| 6 | पैट्रोल पम्प | | | |
| 7 | एल.पी.जी. | 62 | 47 | 55 |
| 8 | थोक गोदाम/परचून दुकाने | 41 | 41 | 41 |
| | कुल | 278 | 222 | 166 |

सरकारी विभागों को सीमेन्ट की आपूर्ति से सम्बन्धित आर्डर दर्ज करने, उसकी आपूर्ति तथा विभागवार हिसाब रखने का कार्य कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है। निगम के कार्मिक प्रबन्धियों की नवीनतम विस्तृत सूचना देता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी किये जाते हैं:-

| | |
|----|--|
| 1. | सीमेन्ट का खुला वितरण |
| 2. | हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग को दवाईयों की आपूर्ति |
| 3. | लम्बित बिलों की सक्षम अदायगी हेतु परिवीक्षा |
| 4. | प्रत्येक दुकान की मासिक बिक्री के आधार पर सक्षमता की परिवीक्षा |
| 5. | वेतन तथा संचयित भविष्य निधि के कम्प्यूटरीकरण का कार्य |
| 6. | दवाईयों की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण |

गोदाम: -

वर्ष 1980 में जब निगम की स्थापना हुई थी उस समय निगम द्वारा प्रदेश भर में केवल 28 थोक गोदाम स्थापित किये गये थे अब इन गोदामों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है।

भारत सरकार द्वारा भण्डारण क्षमता बढ़ाने पर अधिक बल दिया जा रहा है व विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य व जनजातीय क्षेत्रों हेतु भारत सरकार द्वारा गोदाम निर्माण हेतु विशेष योजना चलाई गई है जिसके अन्तर्गत गोदाम निर्माण के लिये कुल लागत का 50 प्रतिशत ऋण व 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। निगम ने इस योजना का लाभ उठाने हेतु भट्ठाकुपर, नालागढ़ व अर्की में गोदाम निर्माण का निर्णय लिया है जिस बारे आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में निगम द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण हेतु प्रदेश भर में 88,098 मी. टन क्षमता की व्यवस्था की गई है जिसका क्षेत्रावार व्यौरा निम्न है:-

गोदामों का निर्माण कार्य: -

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | भण्डारण क्षमता थोक गोदाम | भण्डारण क्षमता परचून दुकान | कुल भण्डारण क्षमता |
|----------|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | शिमला | 6935 | 6400 | 13335 |

| | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | सोलन | 3285 | 2000 | 5285 |
| 3 | नाहन | 2745 | 1400 | 4145 |
| 4 | धर्मशाला | 7721 | 4000 | 11721 |
| 5 | मण्डी | 5045 | 6190 | 11235 |
| 6 | चम्बा | 3455 | 1700 | 5155 |
| 7 | हमीरपुर | 3792 | 2100 | 5892 |
| | कुल | 32978 | 23790 | 56768 |

प्रदेश के जनजातिय क्षेत्रों में खोले गए गोदामों का विवरण निम्न है:-

| क्र.सं. | गोदाम का नाम | भण्डारण क्षमता मी.टन | जिला |
|---------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | चांगों | 500 | किन्नौर |
| 2 | पूह | 500 | किन्नौर |
| 3 | कल्पा | 250 | किन्नौर |
| 4 | रिकांगपिओ | 200 | किन्नौर |
| 5 | टापरी | 750 | किन्नौर |
| 6 | भावानगर | 500 | किन्नौर |
| 7 | निचार | 50 | किन्नौर |
| 8 | काजा | 1050 | लाहुल-स्पिति |
| 9 | ताबो | 200 | लाहुल-स्पिति |
| 10 | केलांग | 1080 | लाहुल-स्पिति |
| 11 | उदयपुर | 930 | लाहुल-स्पिति |
| 12 | भरमौर | 235 | चम्बा |
| 13 | दुर्गटी | 300 | चम्बा |
| 14 | किल्लर | 870 | चम्बा |
| 15 | थोक गोदाम कम परचून दुकान पुर्थी | 568 | चम्बा |
| 16 | थोक गोदाम कम परचून दुकान साच | 384 | चम्बा |
| 17 | थोक गोदाम कम परचून दुकान साहली | 218 | चम्बा |
| 18 | थोक गोदाम कम परचून दुकान दरवास | 297 | चम्बा |
| 19 | थोक गोदाम कम परचून दुकान कुमार परमार | 100 | लाहुल-स्पिति |
| | कुल | 8982 | |

वाणिज्य वाहन: -

निगम के पास 30 बड़े आकार, 1 छोटा तथा 12 स्टाफ वाहन हैं जिनके माध्यम से आवश्यक वस्तुएं एल.पी.जी. सिलेण्डर व पेट्रोल/डीजल का परिवहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन वाहनों से द्वार वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। यद्यपि परिवहन का अधिकतर कार्य निजि वाहनों के माध्यम से करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त जन जातिय क्षेत्रों व हिम्मांछादित क्षेत्रों में अग्रिम भण्डारण हेतु इन वाहनों का उपयोग किया जाता है। इन वाहनों का क्षेत्रवार विवरण निम्न है:-

| क्षेत्र का नाम | वाणिज्य वाहन | | | स्टाफ कार | कुल |
|----------------|--------------|-------|------|-----------|-----|
| | बड़े | मध्यम | छोटे | | |
| मुख्यालय | - | | | 7 | 7 |
| शिमला | 2 | - | - | 1 | 3 |
| सोलन | 4 | - | - | 1 | 5 |
| नाहन | 3 | - | - | - | 3 |
| धर्मशाला | 9 | - | 1 | - | 10 |
| हमीरपुर | 3 | - | - | 1 | 4 |
| मण्डी | 5 | - | - | 1 | 6 |
| चम्बा | 1 | - | - | 1 | 2 |

| | | | | |
|-------------|----|---|----|----|
| म.प्र. सोलन | 3 | | | 3 |
| कुल | 30 | 1 | 12 | 43 |

विक्रय उपलब्धी: -

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हिमाचल राज्य में जो उन्नति हुई है वह सन्तोषजनक है। गत वर्षों में विक्रय उपलब्धी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

| वर्ष | विक्रय उपलब्धी रुपये लाख में | पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि |
|-----------|---------------------------------|---|
| 1981-82 | 1427.57 | -- |
| 1982-83 | 2625.70 | 83.96 |
| 1983-84 | 3001.85 | 14.32 |
| 1984-85 | 3695.35 | 23.10 |
| 1985-86 | 4517.17 | 22.33 |
| 1986-87 | 4818.60 | 6.67 |
| 1987-88 | 6392.66 | 32.66 |
| 1988-89 | 6842.68 | 7.04 |
| 1989-90 | 6161.07 | -- |
| 1990-91 | 7975.22 | 29.42 |
| 1991-92 | 9608.89 | 20.48 |
| 1992-93 | 10953.82 | 14.00 |
| 1993-94 | 13241.08 | 20.88 |
| 1994-95 | 13766.74 | 3.97 |
| 1995-96 | 14342.36 | 4.18 |
| 1996-97 | 19280.10 | 34.42 |
| 1997-98 | 21359.53 | 10.78 |
| 1998-99 | 26541.05 | 24.26 |
| 1999-2000 | 23886.13 | -10.00 |
| 2000-01 | 21568.20 | -9.70 |
| 2001-02 | 29936.05 | 38.80 |
| 2002-03 | 31134.83 | 4.00 |
| 2003-04 | 37328.55 | 19.89 |
| 2004-05 | 41863.20 | 12.15 |
| 2005-06 | 50398.29 | 20.39 |
| 2006-07 | 56865.93 | 12.83 |
| 2007-08 | 80492.91 | 41.55 |
| 2008-09 | 91559.44 | 13.73 |
| 2009-10 | 101936.50 | 11.33 |

वित्तीय उपलब्धी: -

यद्यपि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम बहुत थोड़े लाभान्श पर काम कर रही है और यह भी स्पष्ट रूप से विदित है कि इस निगम का लक्ष्य केवल लाभ कमाना नहीं है फिर भी इस निगम द्वारा निरन्तर लाभान्श अर्जित किया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

| वर्ष | घाटा (-)/ लाभ(+) | राशि लाखों में |
|---------|------------------|----------------|
| 1980-81 | (-) | 2.59 |
| 1981-82 | (+) | 2.71 |
| 1982-83 | (+) | 1.40 |
| 1983-84 | (+) | 2.34 |

| | | |
|-----------|-----|--------|
| 1984-85 | (+) | 4.17 |
| 1985-86 | (+) | 7.80 |
| 1986-87 | (+) | 10.48 |
| 1987-88 | (+) | 30.31 |
| 1988-89 | (+) | 89.15 |
| 1989-90 | (+) | 5.44 |
| 1090-91 | (+) | 5.43 |
| 1991-92 | (+) | 9.19 |
| 1992-93 | (+) | 11.89 |
| 1993-94 | (+) | 2.13 |
| 1994-95 | (+) | 10.32 |
| 1995-96 | (+) | 13.17 |
| 1996-97 | (+) | 26.45 |
| 1997-98 | (+) | 38.34 |
| 1998-99 | (+) | 68.10 |
| 1999-2000 | (+) | 98.58 |
| 2000-01 | (+) | 89.22 |
| 2001-02 | (+) | 107.84 |
| 2002-03 | (+) | 158.62 |
| 2003-04 | (+) | 535.52 |
| 2004-05 | (+) | 446.76 |
| 2005-06 | (+) | 606.77 |
| 2006-07 | (+) | 420.47 |
| 2007-08 | (+) | 194.09 |
| 2008-09 | (+) | 322.84 |
| 2009-10 | (+) | 287.16 |

निगम द्वारा वर्ष 1985-86 से राज्य सरकार को दिये गये लाभांश का ब्यौरा निम्न है:-

| वर्ष | भुगतान किया गया लाभांश | शेयर कैपिटल पर प्रतिशतता |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 1985-86 | 1,50,000.00 | 0.5 |
| 1986-87 | 1,60,000.00 | 0.5 |
| 1987-88 | 1,60,000.00 | 0.5 |
| 1988-89 | 1,64,500.00 | 0.5 |
| 1989-90 | 1,69,500.00 | 0.5 |
| 1990-91 | 1,69,500.00 | 0.5 |
| 1991-92 | 2,55,000.00 | 0.75 |
| 1992-93 | 3,41,000.00 | 1.00 |
| 1993-94 | 1,71,000.00 | 0.5 |
| 1994-95 | - | - |
| 1995-96 | 3,45,000.00 | 1.00 |
| 1996-97 | 5,19,000.00 | 1.5 |
| 1997-98 | 8,77,500.00 | 2.5 |
| 1998-99 | 12,30,250.00 | 3.5 |
| 1999-2000 | 12,30,250.00 | 3.5 |
| 2000-01 | 17,57,500.00 | 5 |
| 2001-02 | 17,57,500.00 | 5 |

| | | |
|---------|--------------|----|
| 2002-03 | 17,57,500,00 | 5 |
| 2003-04 | 24,60,500,00 | 7 |
| 2004-05 | 70,30,000,00 | 20 |
| 2005-06 | 52,72,500,00 | 15 |
| 2006-07 | 35,15,000,00 | 10 |
| 2007-08 | 35,15,000,00 | 10 |
| 2008-09 | 35,15,000,00 | 10 |
| 2009-10 | 17,57,500.00 | 5 |

वित्तीय पुष्टता: -

निगम की अधिकृत शेयर कैपिटल 8.00 करोड़ रुपये हैं व अदा की गई पूँजी 3.51 करोड़ रुपये हैं। निगम द्वारा कार्य पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न बैंकों से 30.00 करोड़ रुपये की नगद उधार सीमा प्राप्त की जा रही है व सम्बन्धित बैंकों के समूह का लीटर हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक है। निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों में बैंकों को अदा किये गये ब्याज व अन्य खर्चों का विवरण निम्न है:-

| वर्ष | विक्रय उपलब्धी | ब्याज व अन्य खर्च | ब्याज व अन्य खर्च का कुल बिक्री से प्रतिशतता |
|---------|----------------|-------------------|--|
| 2004-05 | 41863.20 | 88.49 | 0.21 |
| 2005-06 | 50398.29 | 182.40 | 0.36 |
| 2006-07 | 56865.93 | 106.12 | 0.19 |
| 2007-08 | 80492.91 | 108.09 | 0.13 |
| 2008-09 | 91559.44 | 104.33 | 0.11 |
| 2009-10 | 101936.50 | 50.43 | 0.05 |

अंश धारकों की सूची: -

| क्र.सं. | अंश होल्डर का नाम व पदनाम | अंशों की संख्या |
|---------|--|-----------------|
| 1 | श्रीमती राजवन्त सन्धु स्वरूप, भा.प्र.से., मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार | 3 |
| 2 | श्री भीम सेन, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार | 2 |
| 3 | श्री पी. सी. धीमान, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार। | 2 |
| 4 | डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार। | 2 |
| 5 | श्री अजय त्यागी, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार। | 200 |
| 6 | श्री प्रेम कुमार, भा.प्र.से., प्रधान सचिव (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) हिमाचल प्रदेश सरकार। | 34937 |
| 7 | डॉ. ए. जे. वी. प्रसाद, भा.प्र.से., पंजीयक, को-ओपरेटिव सोसायटी, हि.प्र. । | 1 |
| 8 | श्री सी.पॉलरासू, भा.प्र.से., निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश। | 2 |
| 9 | श्री दिलजीत सिंह, भा.प्र.से., प्रबन्ध निदेशक, हि.प्र. रा. ना. आ. नि. सी., हिमाचल प्रदेश | 1 |

| | | |
|--|------------|--------------|
| | कुल | 35150 |
|--|------------|--------------|

निदेशक मण्डल: -

राज्य सरकार द्वारा निगम के निदेशक मण्डल का गठन निम्न रूप में किया है:-

| | अध्यक्ष | |
|----|---|-----------------------------|
| 1 | श्री रमेश चंद, माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश सरकार। | अध्यक्ष |
| 2 | श्री राम स्वरूप शर्मा | उपाध्यक्ष |
| 3 | श्री भीम सेन, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार | निदेशक |
| 4 | श्री पी. सी. धीमान, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार। | निदेशक |
| 5 | श्री अजय त्यागी, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार । | निदेशक |
| 6 | श्री प्रेम कुमार, भा.प्र.से., अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) हिमाचल प्रदेश सरकार | निदेशक |
| 7 | डॉ. ए. जे. वी. प्रसाद, भा.प्र.से., पंजीयक, को-ओपरेटिव सोसायटी, हिमाचल प्रदेश | निदेशक |
| 8 | श्री सी.पॉलरासू, भा.प्र.से., निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश। | निदेशक |
| 9 | श्री दिलजीत सिंह, भा.प्र.से., प्रबन्ध निदेशक, हि.प्र. रा. ना. आ. नि. सी. | निदेशक-व- प्रबन्ध निदेशक |
| 10 | श्रीमती प्रेम चौहान | निदेशक |
| 11 | श्री कमल हमीरपुरी | निदेशक |
| 12 | श्री वीजेन्द्र चौधरी | निदेशक |
| 13 | श्री तीरथ राम ठकुर | निदेशक |
| 14 | श्री हरदयाल चन्देल | निदेशक |

मारजिन: -

हिमाचल प्रदेश सरकार/ केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर समय-समय पर मारजिन निर्धारित किया जाता है। मारजिन का वर्तमान ढांचा निम्न प्रकार से है: -

| क्र.सं. | वस्तुएं | मारजिन की प्रतिशतता | | |
|---------|---|--|---------------------------|--|
| | | थोक विक्रेता | उप थोक विक्रेता | फुटकर |
| 1 | लेवी चीनी | 30.48 रुपए प्रति क्विंटल (2004-05) | | 7.57/- रुपए प्रति क्विंटल 13.50/- खाली एम्पटी (2004-05) |
| 2 | खुली बिक्री चीनी | 2.5 प्रतिशत | | 2 से 5 प्रतिशत |
| 3 | ग्रेडु ए.पी.एल. ब्याज प्रशासनिक खर्च गोदाम शार्टेज फ्यूमिगेशन खर्च गोदाम किराया | @ 4% 1.13 रुपए प्रति क्विंटल 0.35 रुपए प्रति क्विंटल 0.35 रुपए प्रति क्विंटल 0.35 रुपए प्रति क्विंटल | 4/- रुपए प्रति क्विंटल | 22.00/- रुपए प्रति क्विंटल |

| | | | | |
|----|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 4 | गेहूं बी.पी.एल. | | | |
| | ब्याज | @ 4% | 4/- रुपए प्रति | 22.00/- रुपए प्रति |
| | प्रशासनिक खर्च | 1.13 रुपए प्रति | किचंटल | किचंटल |
| | गोदाम शार्टेज | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | फयूमिगेशन खर्च | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | गोदाम किराया | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| 5 | गेहूं अंत्योदय | | | |
| | ब्याज | @ 4% | 2/- रुपए प्रति | 12.00/- रुपए प्रति |
| | प्रशासनिक खर्च | 1.13 रुपए प्रति | किचंटल | किचंटल |
| | गोदाम शार्टेज | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | फयूमिगेशन खर्च | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | गोदाम किराया | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| 6 | आटा | 9/- रुपए पर | किचंटल | 4/- रुपए प्रति |
| | | | किचंटल | 23/- रुपए पर |
| 7 | चावल ए.पी.एल. | | | |
| | ब्याज | @ 4% | 4/- रुपए प्रति | 23/- रुपए पर |
| | प्रशासनिक खर्च | 1.13 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | गोदाम शार्टेज | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | फयूमिगेशन खर्च | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | गोदाम किराया | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| 8 | चावल बी.पी.एल. | | | |
| | ब्याज | @ 4% | 4/- रुपए प्रति | 23/- रुपए पर |
| | प्रशासनिक खर्च | 1.13 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | गोदाम शार्टेज | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | फयूमिगेशन खर्च | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | गोदाम किराया | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| 9 | चावल अंत्योदय | | | |
| | ब्याज | @ 4% | 3/- रुपए प्रति | 13/- रुपए पर |
| | प्रशासनिक खर्च | 1.13 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | गोदाम शार्टेज | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | फयूमिगेशन खर्च | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | गोदाम किराया | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| 10 | चावल अन्नपूर्णा | | | |
| | प्रशासनिक खर्च | 1.13 रुपए प्रति | किचंटल | 2/- रुपए प्रति |
| | गोदाम शार्टेज | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | किचंटल |
| | फयूमिगेशन खर्च | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | |
| | गोदाम किराया | 0.35 रुपए प्रति | किचंटल | 13/- रुपए पर |
| 11 | मिट्टी तेल | | 2 पैसे प्रति लीटर | 25 पैसे प्रति लीटर |
| | | | | (ग्रामीण) व 15 पैसे |
| | | | | प्रति लीटर (शहरी) |
| 12 | अनियंत्रित मार्किन | 10 प्रतिशत | | 15 प्रतिशत |
| | | (अक्तूबर 2006) | | अक्तूबर 2006 |
| 13 | अभ्यास पुस्तिकाएं | 3 प्रतिशत | | 7 प्रतिशत |
| 14 | आयोडाईजड नमक | 2/- प्रति | किचंटल | 1/- रु. प्रति |
| | | | किचंटल | 2 रु. प्रति |
| 15 | सीमेंट पीडीएस | | | 1.50 रु. प्रति बैग |
| 16 | चाय | 2.5 से 3 प्रतिशत | 0.5 से 2 प्रतिशत | 5 से 8 प्रतिशत |
| 17 | कपड़े धोने का साबुन | 3 से 5 प्रतिशत | 2 से 3 प्रतिशत | 5 से 6 प्रतिशत |
| 18 | साबुन टॉयलेट | 2 से 3 प्रतिशत | 0.5 से 2 प्रतिशत | 2 से 11 प्रतिशत |

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 19 | माचिस | 3 प्रतिशत | 2 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
| 20 | दालें | 2.5 प्रतिशत | | 5 प्रतिशत |
| 21 | अनियंत्रित तेल | 3 प्रतिशत | 1 प्रतिशत | 2 से 3 प्रतिशत |
| 22 | दवाईयां | | | 5 से 30 प्रतिशत |
| 23 | गैस स्टोव | | | 25 प्रतिशत |
| 24 | खुली बिक्री चावल | 3 प्रतिशत | | 5 प्रतिशत |
| 25 | सिलेंडर 14.2 कि.ग्रा. | | | 21.94 रु. प्रति सिलेंडर |
| 26 | सिलेंडर 19.00 कि.ग्रा. | | | 50.00 रु. प्रति सिलेंडर |
| 27 | सिलेंडर 5.00 कि.ग्रा. | | | 11.30 रु. प्रति सिलेंडर |
| 28 | डीजल | | | 700 रु. प्रति के.एल. |
| 29 | पेट्रोल | | | 1224 रु. प्रति के.एल. |
| 30 | जी.आई शीट | | | 5 प्रतिशत |
| 31 | स्टीम कोयला | | | 10 प्रतिशत |
| 32 | अनुदानित दाले, नमक, तेल | | | 3 प्रतिशत |

विभिन्न नियन्त्रित वस्तुओं की दी जाने वाली मात्रा व दरें: -

| वस्तु | दी जाने वाली मात्रा | दर प्रति किलो |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| लेवी चीनी | 700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह | 13.50 रुपए प्रति कि. ग्रा. |

गरीबी रेखा के ऊपर (ए.पी.एल.) कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा व दरों का विवरण निम्न है:

| वस्तु | दी जाने वाली मात्रा | | | दर प्रति किलो |
|---------------|--|-----------|--------------|----------------------------|
| आटा/गेहूँ | 18 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड प्रति माह | | | 8.50 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| चावल | 9 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड प्रति माह | | | 10.00 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| मिट्टी का तेल | जिन उपभोक्ताओं के पास गैस है | जन- जातीय | गैर जन-जातीय | 12.40 से 13.10 प्रति लीटर |
| | जिनके पास गैस नहीं है। | 15 लीटर | 10 लीटर | |
| | जिनके पास एक सिलेन्डर है | 5 लीटर | 3 लीटर | |
| | जिनके पास 2 सिलेन्डर है | 5 लीटर | शून्य | |

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा व दरों का विवरण निम्न है: -

| वस्तु | दी जाने वाली मात्रा | दर प्रति किलो |
|------------------|--|---------------------------|
| गेहूँ बी.पी.एल | 20 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड प्रति माह | 5.25 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| चावल बी.पी.एल. | 15 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड प्रति माह | 6.85 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| गेहूँ अंतोदय | 20 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड प्रति माह | 2.00 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| चावल अंतोदय | 15 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड प्रति माह | 3.00 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| अन्न पूर्ण योजना | 10 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड प्रति माह | मुफ्त |

विशेष अनुदानित योजना के तहत दालों, तेल व नमक का वितरण: -

| वस्तुएं | परिवारों के सदस्यों के लिए दी जाने वाली मात्रा | | | दर प्रति किलो |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | 2 सदस्यों तक | 3 से 4 सदस्यों तक | 5 या अधिक सदस्यों | |
| काला चना | - | - | 1 कि.ग्रा. | 20.00 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| दाल चना | - | 1 कि.ग्रा. | 1 कि.ग्रा. | 25.00 रुपए प्रति कि. ग्रा. |

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| माश | 1 कि.ग्रा. | 1 कि.ग्रा. | 1 कि.ग्रा. | 35.00 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| सरसों खाने का तेल | - | 1 लीटर | 1 लीटर | 45.00 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| रिफाईन्ड खाने का तेल | 1 लीटर | 1 लीटर | 1 लीटर | 40.00 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| आयोडाईजड नमक | 1 कि.ग्रा. | 1 कि.ग्रा. | 1 कि.ग्रा. | 4.00 रुपए प्रति कि. ग्रा. |

| TPDS (Drought) | पैमाना | दर प्रति कि.ग्रा. |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| चावल | 5 कि.ग्रा. प्रति राशनकार्ड प्रति माह | 14.00 रुपए प्रति कि. ग्रा. |
| गेहूं आटा | 10 कि.ग्रा. प्रति राशनकार्ड प्रति माह | 11.20 रुपए प्रति कि. ग्रा. |

जिलावार वितरण: -

| क्र.सं. | जिले का नाम | थोक गोदारमों की सं. | परचून दुकानों की सं. | गैस एजेंसियां | दवाई दुकानें | पैट्रोल पम्प | कुल |
|---------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1. | शिमला | 16 | 48 | 11 | 08 | 01 | 84 |
| 2. | सोलन | 06 | 08 | 06 | 04 | | 24 |
| 3. | बिलासपुर | 04 | 05 | 02 | 0 | 01 | 12 |
| 4. | सिरमौर | 09 | 08 | 04 | 02 | | 23 |
| 5. | चम्बा | 16 | 18 | 02 | 01 | | 37 |
| 6 | मण्डी | 18 | 15 | 08 | 05 | | 46 |
| 7 | कुल्लू | 05 | 02 | 01 | 01 | | 09 |
| 8 | कांगडा | 20 | 15 | 07 | 09 | | 51 |
| 9 | हमीरपुर | 08 | 03 | 02 | 01 | | 14 |
| 10 | उना | 05 | 02 | 02 | 02 | 01 | 12 |
| 11 | किन्नौर | 05 | 01 | 05 | | | 11 |
| 12 | लाहल-स्पिति | 03 | 04 | 0 | | 01 | 08 |
| | कुल | 115 | 129 | 50 | 33 | 04 | 331 |

दुर्गम क्षेत्रों में वितरण: -

| क्र. सं. | ब्लॉक का नाम | थोक गोदारमों की सं. | परचून दुकानों की सं. | गैस एजेंसियां | दवाई दुकानें | पैट्रोल पम्प | कुल |
|----------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|-----|
| 1. | निघार | टापरी भावा नगर | | निघार | | | 3 |
| 2. | पिओ | पिओ | पिओ | पिओ, सांगला | | | 4 |
| 3 | पूह | पूह चांगो | | पूह | | | 3 |
| 4. | केलांग | केलांग, उदयपुर | केलांग, उदयपुर | उदयपुर केलांग | | | 6 |
| 5. | काजा | काजा | काजा, ताबो | काजा | | टी.के.डी. काजा | 5 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6. | भरमौर | भरमौर दुर्गटी होली | होली, दाली, भरोट | भरमौर | | | 7 |
| 7 | पांगी | किल्लर, पुरथी साच साहली दरवास कुमार- परमार | किल्लर पुरथी साच साहली दरवास | तीसा किलाड़ | | | 13 |
| | कुल जनजातिय | 17 | 13 | 10 | | 01 | 42 |
| | कुल गैर जनजातिय | 98 | 116 | 40 | 33 | 03 | 289 |
| | कुल | 115 | 129 | 50 | 33 | 04 | 331 |

थोक गोदाम: -

| क्र.सं. | शिमला | सोलन | नाहन | धर्मशाला | हमीरपुर | मण्डी | चम्बा |
|---------|-----------|----------|--------------|-------------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | भट्टाकुफर | धर्मपुर | नाहन | देहरा | हमीरपुर | नेरचौक | चौवाडी |
| 2. | शिमला शहर | नालागढ़ | पांवटा साहिब | पपरोला | बडसर | जोगिंद्रनगर | बनीखेत |
| 3. | ठियोग | कण्डाघाट | शिलाई | नूरपुर | नादौन | सरकाघाट | चम्बा |
| 4. | गुम्मा | अर्की | राजगढ़ | नगरोटा सूरियां | सुजानपुर | सुंदरनगर | सिहूता |
| 5. | जुब्बल | सोलन | ददाहु | लम्बागांव | भोरंज पट्टा | बालीचौकी | सुदला |
| 6. | रोहडू | बिलासपुर | सराहन | चैत्रू | तरकवारी | मण्डी | तीसा |
| 7. | चौपाल | धुमारवी | नौहराधार | परागपुर | पंजोत | लौंगनी | सलूनी |
| 8. | नेरवा | नैनादेवी | हरीपुरधार | धर्मशाला | भूनी | संधोल | भरमौर |
| 9 | रामपुर | झण्डुता | कफोटा | थुरल | उना | नीहरी | दुर्गती |
| 10 | क्वार | रामशहर | कुपवी | पंचरुखी | बंगाना | बलद्वाडा | होली |
| 11 | नारकण्डा | | | रेहन | गगरेट | लूनापानी | |
| 12 | टापरी | | | जोरबर | अम्ब | थुनाग | |
| 13 | काजा | | | भडवार | हरोली | लडभरोल | |
| 14 | आनी | | | मरांडा | | चौकी | |
| 15 | निरमण्ड | | | नगरोटा बगवां | | करसोग | |
| 16 | पूह | | | खुंडिया | | कुल्लू | |
| 17 | चांगो | | | कंदरौरी | | भूतर | |
| 18 | पिओ | | | रानीताल | | पतलीकुहल | |
| 19 | भावानगर | | | धीरा | | केलांग | |
| 20 | चिढ़गांव | | | शाहपुर | | उदयपुर | |
| 21 | डोडरा | | | | | किल्लर | |
| 22 | ननखरी | | | | | साच | |
| 23 | टिक्कर | | | | | साहली | |
| 24 | | | | | | पुरथी | |
| 25 | | | | | | दरवास | |
| 26 | | | | | | कुमार परमार | |
| 27 | | | | | | बरोट | |

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|--------|----|
| 28 | | | | | | पदर | |
| 29 | | | | | | चैलचौक | |
| | 23 | 10 | 10 | 20 | 13 | 29 | 10 |

परचून दुकानें: -

| क्र.सं. | शिमला | सोलन | नाहन | धर्मशाला | हमीरपुर | मण्डी | चम्बा |
|---------|-------------|----------|------------|--------------------|----------|-------------|---------|
| 1. | पुलबाहल | कुठार | शिलाई | बैजनाथ | हमीरपुर | नेरचौक | डलहौजी |
| 2. | संजौली | बद्दी | राजगढ़ | नूरपुर | नादौन | खुदर | ककीरा |
| 3. | कसुम्पटी | दिग्गल | संग्राह | रैत | सुजानपुर | तीरा | मेहला |
| 4. | छोटाशिमला | साधुपूल | नैनाटिक्कर | धर्मशाला के.बी. | मेहतपुर | गोपालपुर | एस.घराट |
| 5. | ब्राकहॉस्ट | चैल | हरीपुरधार | धर्मशाला सी.एल. | अर्निला | सुंदरनगर | घेरा |
| 6. | संजौली | सेलन | बागी | श्यामनगर | | चत्रोखरी | रख |
| 7. | ठियोग | बिलासपुर | टिम्बी | थुरल | | स्लापड | लीलकोठी |
| 8. | सरोग | दियारा | रोहनाट | संसई | | मण्डी | सिहूता |
| 9 | लाफुघाटी | बरमाना | | चढ़ियार | | कमांड सालगी | सरगेन |
| 10 | कियारदू | कलोल | | रैहन | | कुन्नु | होली |
| 11 | धर्मपुर | घरन | | सदवां | | संधोल | डाली |
| 12 | गुम्मा | दरवा | | पलमपुर | | लडभरोल | बरोट |
| 13 | देवगढ़ | | | नगरोटा बगवां | | टिक्कन | दरवाला |
| 14 | घरोग | | | रजेहर | | कुल्लू | |
| 15 | बनोल | | | इंदोरा | | मनाली | |
| 16 | बागी | | | | | केलांग | |
| 17 | खडापत्थर | | | | | उदयपुर | |
| 18 | शीलघाट | | | | | किल्लर | |
| 19 | मंडोल | तकलेच | | | | करसोग | |
| 20 | सरस्वती नगर | काशापाट | | | | पंगना | |
| 21 | कुडू | झाकडी | | | | | |
| 22 | झगटान | दरकाली | | | | | |
| 23 | गिलटारी | क्वार | | | | | |
| 24 | भोलार | डोडरा | | | | | |
| 25 | मण्डल | गुशाल | | | | | |
| 26 | मेलठी | खनेटी | | | | | |
| 27 | पतसरी | जरोल | | | | | |
| 28 | झारग | पिओ | | | | | |
| 29 | सरैन | काजा | | | | | |
| 30 | चौपाल | ताबो | | | | | |
| 31 | नेरवा | मश्रान | | | | | |
| 32 | भरानू | देवीधार | | | | | |
| 33 | झींकनीपुल | पुजारली | | | | | |
| 34 | जोगनी | नंदपूर | | | | | |
| 35 | जगूनी | | | | | | |
| | 51 | 13 | 08 | 15 | 05 | 20 | 13 |

गैस एजेन्सियाँ: -

| क्र.सं. | शिमला | सोलन | नाहन | धर्मशाला | हमीरपुर | मण्डी | चम्बा |
|---------|-------|------|------|----------|---------|-------|-------|
|---------|-------|------|------|----------|---------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|----|-----------|----------|-----------|---------------------|----------|------------|-------|
| 1. | ठियोग | अर्की | राजगढ़ | नगरोटा बगवां | मेहतपुर | सरकाघाट | भरमौर |
| 2. | चौपाल | कण्डाघाट | नाहन-1 | दमताल | अम्ब | करसोग | तीसा |
| 3. | रामपुर | नालागढ़ | नाहन-11 | बैजनाथ | रुजानपुर | मनाली | |
| 4. | पिओ | घुमारवीं | हरीपुरधार | शाहपुर | बडसर | केलांग | |
| 5. | पूह | कुनिहार | | नूरपुर | | पदर | |
| 6. | काजा | दाडलाघाट | | धर्मशाला | | बलद्वारा | |
| 7. | नारकंडा | झण्डुता | | घुग्गर (पालमपुर) | | जोगिंदरनगर | |
| 8. | भट्टाकुफर | सोलन | | | | उदयपुर | |
| 9 | रोहडू | | | | | किलाड़ | |
| 10 | सुब्बी | | | | | | |
| 11 | ननखरी | | | | | | |
| 12 | कुमारसैन | | | | | | |
| 13 | जुब्बल | | | | | | |
| 14 | सांगला | | | | | | |
| 15 | भावानगर | | | | | | |
| 16 | शोधी | | | | | | |
| | 16 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 |

पेट्रोल पम्प/टी.के.डी.

| क्र.सं. | शिमला | सोलन | नाहन | धर्मशाला | हमीरपुर | मण्डी | चम्बा |
|---------|----------------|------|------|----------|---------|-------|-------|
| 1. | किंगल | नौणी | | | गगरेट | | |
| 2. | काजा टीकेडी | | | | | | |
| | 2 | 1 | | | 1 | | |

दवाई दुकानें: -

| क्र.सं. | शिमला | सोलन | नाहन | धर्मशाला | हमीरपुर | मण्डी | चम्बा |
|---------|----------------------------|---------|-------------|------------|---------|----------------|-------|
| 1. | आईजीएमसी-1 | सोलन | नाहन | धर्मशाला | उना | मण्डी | चम्बा |
| 2. | आईजीएमसी-11 | अर्की | पांवटासाहिब | पालमपुर | हमीरपुर | कुल्लू | |
| 3. | दीनदयाल उपाध्याय | नालागढ़ | | बैजनाथ | | करसोग | |
| 4. | कमला नेहरू | बददी | | कांगडा | | सरकाघाट | |
| 5 | रामपुर | | | देहरा | | सुंदरनगर | |
| 6 | रोहडू | | | टांडा | | जोगिंदर नगर | |
| 7 | ठियोग | | | धर्मशाला | | | |
| 8 | आनी | | | नूरपुर | | | |
| 9 | छोटा शिमला (आयुर्वेदिक) | | | ज्वालामुखी | | | |
| | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 |



HP STATE CIVIL SUPPLIES CORPN LTD STATUS REPORT



